(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 06 / 2026

पंजीकरण संख्या :– 2026 / 31

बउनवान

सतीश सुमन निवासी वार्ड नं. 39 ग्राम मवासा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 01.05.2026

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2026 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 07 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 13.04.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को जरिये सम्मन क्रमांक 292–293 दिनांक 15.04.2026 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 292–293 दिनांक 15.04.2026 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / राजस्व / 2026 / 572 दिनांक 27.04.2026 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 07 बिंदुओं की सूचना में से बिंदु संख्या 1, 2, 5, 6, 7 की कार्यालय में उपलब्ध सूचना की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिंदु सं. 3 व 4 से संबंधित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से सूचित कर दिया गया है। तहसीलदार, बारां द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक / राजस्व / 2026 / 524 दिनांक 20.04.2026 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से 07 बिंदुओं का जवाब एवं सूचना भिजवा दी गई है जिसकी प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/572 दिनांक 27.04.2026 से इस न्यायालय में भिजवा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **01.05.2026** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ